रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255800 CG-DL-E-27072024-255800

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2868]

No. 28681

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 26 जुलाई, 2024

का.आ. 3009(अ).—इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम-2024

- 1. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2024 की अधिसूचना का.आ. 1334(अ) के अंतर्गत अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम-2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:
- 2. पैराग्राफ 4 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा: 778 करोड़ रुपये के परिव्यय से इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम-2024 को 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक की 6 माह की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है ताकि देश में पर्यावरण-अनुकूल वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारितंत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक दुपहिया और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को तेजी से अपनाया जा सके।
- 3. पैराग्राफ 8 "स्कीम परिव्यय" के अंतर्गत तालिका 1 को निम्नानुसार संशोधित समझा जाए:

4663 GI/2024 (1)

^	\sim	_	_	10	~ 0	•	3 00	•
तालिका 1: सहायता प्रदान	ाकए	जान	वाल	इलाक्टक	वाहना का	सख्या	'आर ानाध	आवटन:

क्र. सं.	संघटक/वाहन श्रेणी	सहायता प्रदान किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम संख्या	कुल परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1	इलेक्ट्रिक दुपहिया	5,00,080	500.08
2	इलेक्ट्रिक तिपहिया: ई-रिक्शा/ ई-कार्ट	13,590	33.97
3	इलेक्ट्रिक तिपहिया: एल5	47,119	235.60
4	प्रशासनिक व्यय	-	8.35
	उपर्युक्त का योग	5,60,789	778.00

- 4. पैराग्राफ 10 में, स्कीम के संशोधित परिव्यय को 778 करोड़ रुपये पढ़ा जाएगा।
- 5. पैराग्राफ 19 में, आईईसी सहित स्कीम के प्रशासन के लिए परिव्यय 8.35 करोड़ रुपये पढ़ा जाएगा।
- 6. पैराग्राफ 29 में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा: यह निधि-सीमित स्कीम है। स्कीम के तहत कुल भुगतान स्कीम के 778 करोड़ रुपये के परिव्यय तक सीमित होगा। यदि स्कीम या इसके संगत उप-घटकों के लिए निधि 30 सितंबर, 2024 से पहले समाप्त हो जाती है, तो स्कीम या इसके संगत उप-घटक तदनुसार बंद हो जाएंगे अर्थात् आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 7. स्कीम के अनुलग्नक-IV में एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

वाहन खंड-वार आर्थिक प्रोत्साहन/अनुदान, सहायता प्रदान किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या और अन्य विवरण

क्र. सं.	वाहन खंड	सहायता प्रदान किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या	वाहनों के लिए प्रोत्साहन ^{*1}	प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकतम एक्स-फैक्ट्री मूल्य	भारी उद्योग मंत्रालय से कुल निधि सहायता
1	पंजीकृत इलेक्ट्रिक दुपहिया	5,00,080	5,000 रुपये/ किलोवाट घंटा, प्रति इलेक्ट्रिक वाहन 10,000 रुपये तक सीमित	1.5 लाख रुपये	500.08
2	पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट	13,590	5,000 रुपये / किलोवाट घंटा प्रति इलेक्ट्रिक वाहन 25,000 रुपये तक सीमित	2.5 लाख रुपये	33.97
3	पंजीकृत इलेक्ट्रिक तिपहिया: एल5	47,119	5,000 रुपये / किलोवाट घंटा प्रति इलेक्ट्रिक वाहन 50,000 रुपये तक सीमित	5 लाख रुपये	235.60
	कुल	5,60,789			769.65

^{*1} प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक दुपहिया/इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 15% तक भी सीमित होगी।

[फा. सं. 1(1)/2018-एइआई(14722)] डॉ हनीफ़ कुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 3009(E).— Electric Mobility Promotion Scheme -2024.

- 1. In partial modification of the Electric Mobility Promotion Scheme -2024 which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O.1334(E) dated 13th March 2024, the following amendments are made with effect from the date of its publication in the Official Gazette:
- 2. Paragraph 4 shall be read as follows: The Electric Mobility Promotion Scheme-2024, with an outlay of Rs.778 crore, is proposed to be implemented over a period of 6 months, w.e.f. 1st April 2024 till 30th September 2024, for faster adoption of electric two wheeler (e-2W) and three wheeler (e-3W) to provide further impetus to the green mobility and development of electric vehicle (EV) manufacturing eco-system in the country.
- 3. Table 1 under paragraph 8 "Scheme Outlay" shall stand amended as follows:

Table 1: No. of EVs to be supported and fund allocation:

Sl. No.	Component/ category of vehicles	Maximum number of EVs	Total outlay
		to be supported	(Rs. crore)
1	e-2w	5,00,080	500.08
2	e-3w: e-rickshaw/ e-cart	13,590	33.97
3	e-3w: L5	47,119	235.60
4	Administrative Expenses	-	8.35
	Total for above	5,60,789	778.00

- 4. At paragraph 10, the revised scheme outlay shall be read as Rs.778 crore.
- 5. At paragraph 19, the outlay for Administration of Scheme including IEC shall be read as Rs.8.35 crore.
- 6. Paragraph 29 shall be amended as follows: This is a fund limited scheme. Total payout under the scheme shall be limited to the scheme outlay of Rs.778 crore. In case the funds for the Scheme or its relevant subcomponents are exhausted prior to 30th September 2024, then the Scheme or its relevant sub-components will be closed accordingly i.e. no further claims will be entertained.
- 7. Annexure-IV to the Scheme is hereby amended as follows:

Vehicle segment-wise incentives/ grant, maximum number of vehicles to be supported and other details.

Sr. No.	Vehicle segment	Maximum number of vehicles to be supported	Incentive for vehicles*1	Maximum Ex-factory price to avail incentive	Total fund support from MHI
1	Registered e-2 wheelers	5,00,080	Rs.5,000/ kWh, capped at Rs.10,000 per EV	Rs.1.5 lakh	500.08
2	Registered e-Rickshaws & e-Cart	13,590	Rs.5,000/ kWh, capped at Rs.25,000 per EV	Rs.2.5 lakh	33.97
3	Registered e-3 wheelers L5	47,119	Rs.5,000/ kWh, capped at Rs.50,000 per EV	Rs.5 lakh	235.60
	Total	5,60,789			769.65

^{*1} The incentive shall be further capped at 15% of ex-factory price of e-2W/e-3W.

[F. No. 1(1)/2018-AEI (14722)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.